बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (बैगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष संः– 0612-2217956
फैक्सः– 0612-2215611/2215978
ई–मेलः–ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांकः– ई2–2–61/2008– 530 पटना, दिनांक 04 फरवरी, 2016 ई0।

प्रेषक

सोहन कुमार ठाकुर,
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
सूचना भवन, पटना।

विषयः– दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के कार्यालय एवं कार्यालय परिसर में अवस्थित भवनों/कक्षों के प्रतिदिन साफ–सफाई हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना की प्रेस विज्ञप्ति की पाँच प्रतियाँ सी0डी0 सहित हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ संलग्न है।

कृपया प्रकाशित विज्ञप्ति का कतरन भी विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

4/2/16

(सोहन कुमार ठाकुर)
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय एवं कार्यालय परिसर में अवस्थित भवनों/कक्षों की प्रतिदिन साफ–सफाई हेतु इच्छुक सेवादाता प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदादाता को साफ–सफाई में उपयोग होने वाली वस्तुओं/सामग्रियों यथा फिनाईल, दुर्गंधनाशक टिकिया (ओडोनील आदि), झाड़ू, लिक्विड सोप, एसिड, डिटर्जेन्ट पाउडर, नैफ्थलीन बॉल, वाइपर, ब्रश, मच्छड़/कीट नाशक स्प्रे, कपड़ा/झाड़न, मजदूरी आदि पर होने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा। प्रतिदिन सफाई कार्य किये जाने संबंधी विस्तृत ब्यौरा/साफ–सफाई हेतु प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों की सूची एवं साफ–सफाई के निमित्त शर्त्तें विभागीय वेबसाईट www.ceobihar.nic.in पर देखी तथा डाउनलोड की जा सकती हैं।

2. निविदा के साथ केन्द्र सरकार/बिहार सरकार के अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों की साफ–सफाई का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र संलग्न रहने पर निविदादाता फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. निविदादाता प्रतिमाह आने वाले सभी खर्चों सहित, मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय का अलग–अलग उल्लेख करते हुए, अपनी तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में (दोनों लिफाफों पर अलग–अलग तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करते हुए) सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सहायक सचिव के पास अवस्थित बक्से में दिनांक 08.03.2016 के अपराह्न 3:00 बजे तक डाले जा सकते है। तकनीकी निविदाएं उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे उपस्थित निविदाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी।

4. निविदादाओं को निविदा कागजात के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पदनाम से किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्गत स्वीकार योग्य फार्म में ₹10,000/–(दस हजार रूपये) मात्र का एकाउण्ट पेयी डिमांड ड्राफ्ट प्रतिभूति राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। असफल निविदादाता की प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) उन्हें निविदा की समाप्ति के बाद शीघ्रातिशीघ्र एवं करार प्रदान करने के बाद अधिकतम 30 दिन के पहले वापस कर दी जायेगी।

5. निविदादाता का श्रम संसाधन विभाग एवं सेवा कर हेतु संबंधित विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा निविदा पर पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाना है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

6. मुहरबंद निविदा लिफाफे के ऊपर साफ–साफ बड़े पठनीय अक्षरों में "मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, 7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015 में सफाई कार्य हेतु निविदा" अंकित किया जाना चाहिए।

7. किसी परिस्थिति में विशेष में बिना कारण बताये हुए निविदा रद्द की जा सकती है।

8. निविदा की आवश्यक शर्त्तों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाईट www.ceobihar.nic.in पर देखा जा सकता है।

(सोहन कुमार ठाकुर)
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

फैक्स/ई-मेल/विशेष दूत

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:–ceo_bihar@eci.gov.in

निविदा हेतु आवश्यक शर्त्ते

विषयः– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना कार्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार 7 मैगल्स रोड (सरदार पटेल मार्ग) के कार्यालय परिसर में स्थित भवनों/कक्षों की साफ–सफाई व्यवस्था हेतु अल्पकालीन निविदा।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार 7, सरदार पटेल मार्ग (मैगल्स रोड) के कार्यालय परिसर में स्थित भवनों/कक्षों की साफ–सफाई की व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है।

(अ) प्रतिदिन सफाई कार्य किये जाने संबंधी विस्तृत ब्यौरा:–

1. फर्श, सीढ़ी, छतों की साफ–सफाई, धुलाई एवं पोंछा लगाया जाना है।
2. शौचालयों/यूरीनलों के फर्श तथा इसमें लगे वाश बेसिन/यूरीनल बेसीन की सफाई इस प्रकार की जानी है, कि काई दुर्गंध न रहे।
3. सभी प्रकार के लकड़ी के उपस्करों यथा– मेजों, कुर्सियों, रैक, मेजों के उपर रखे शीशे, विभिन्न प्रकार की आलमारियों तथा पार्टिशनों की सफाई की जानी है।
4. विभिन्न प्रकार के कार्यालय उपकरणों यथा– सूचना पट्ट, दीवार घड़ी, टंकण मशीन, सोफा सेट, पर्दे अन्य सजावटी सामान, प्रिन्टर्स, कम्प्यूटर मॉनीटर्स, स्कैनर एवं अन्य प्रकार के कम्प्यूटर उपकरणों, वातानुकूलन यंत्रों तथा कूलर्स आदि की साफ–सफाई वैक्यूम क्लीनर द्वारा तथा अच्छे किस्म के डिटर्जेंट/क्लीनिंग एंजेन्ट से की जानी है।
5. कार्यालय परिसर में लगातार साफ–सफाई की जानी है। परिसर में कहीं भी यदि मृत जानवर यथा–कुत्ता, बिल्ली, सर्प, मधुमक्खी के छत्ते, चूहा, छिपकली, मकड़ी के जाल एवं अन्य कीड़े–मकोड़े आदि पाये जाते हैं तो उसे हटाकर साफ–सफाई की जानी है।
6. सभी प्रकार के लकड़ी/अल्यूमीनियम/स्टील के दरवाजों, खिड़कियों तथा उनके शीशों की सफाई तथा पोंछाई (लिक्विड कीटनाशक डिटर्जेंट से) की जानी है।
7. स्वागत कक्ष, प्रवेश द्वार तथा अन्य आम रास्तों की सफाई एवं पोंछाई लगातार की जानी है।
8. विद्युत उपकरणों तथा स्विच बॉक्स, स्टेबिलाईजर्स, पंखे, टयूब लाईट सेट एवं बल्ब इत्यादि पर लगी धूल आदि की तरल एवं सूखी सफाई करनी है।
9. कार्यालय परिसर के अंदर कूड़ा इत्यादि जमा नहीं होने देना होगा। यदि कूड़ा कहीं एकत्रित हो तो उसकी अविलंब सफाई कर देनी होगी।
10. पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा निरीक्षण के दौरान साफ–सफाई में पायी गयी कमियों को तुरंत दूर करना होगा।
11. कारपेट बिछे फर्श के अतिरिक्त शेष फर्श को धोने के लिये अच्छे किस्म के डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाना है तथा कार्पेट एरिया की साफ–सफाई की जानी है।
12. शौचालय के मोजेक टाईल्स की सफाई उपयुक्त डिटर्जेंट/एसिड द्वारा करनी है।

(ब) कार्यालय में उचित रख–रखाव हेतु निविदादाता को निम्नलिखित सामग्रियों का प्रयोग करना है :–

13. तरल साबुन
14. फिनाईल
15. एसिड
16. नेप्थलीन बॉल
17. सफाई का पाउडर
18. एयर फ्रेशनर (ओडोनिल)
19. रूम फ्रेशनर

20. कपड़े का डस्टर
21. शीशा साफ करने वाला तरल पदार्थ जैसे– कॉलिन इत्यादि
22. पोंछा
23. फ्लोर वाईपर
24. टॉयलेट ब्रश
25. नारियल–झाड़ू
26. फूल–झाड़ू
27. डस्टबिन
28. यूरिनल क्यूब्स
29. अन्य जो सामग्री आवश्यक हो।

उपर्युक्त कार्य हेतु कम से कम दो सफाई कर्मचारियों की सेवाएं कार्यालय कार्य की अवधि में तथा कम से कम एक सफाई कर्मचारी की सेवाएँ अवकाश अवधि में उपलब्ध करानी हैं।

(स) सामान्य शर्तें :–

30. कम्प्यूटर संबंधी कीमती उपकरण तथा अन्य उपकरण, फर्नीचर, किताबें, कालीन, पर्दे, सोफा इत्यादि कार्यालय में संधारित है जिसकी साफ–सफाई के दौरान कार्यालय की किसी सामग्री, या इसके अंश को किसी प्रकार की क्षति न हो, इसकी जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।
31. साफ–सफाई के दौरान विशेष ध्यान रखा जाना है कि कार्यालय के अभिलेख या अन्य किसी कागजात को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचे।
32. सफाई कार्य प्रतिदिन 9.30 बजे पूर्वाह्न के पूर्व (कार्यालय काल प्रारंभ होने के पूर्व) कर लिया जाना है तथा सप्ताह के सभी दिनों, शनिवार एवं रविवार को भी, पूर्णरूपेण किया जाना है। कार्यालय काल (अवकाश या अन्य दिनों के कार्यालय खुले रहने की पूर्ण अवधि सहित) में सफाई की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।
33. एक माह में सफाई कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्री निविदादाता द्वारा इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी श्री नवल किशोर शर्मा, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सहायक सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पर्यवेक्षण में भंडार में अग्रिम रखनी होगी।
34. कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी श्री नवल किशोर शर्मा, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सहायक सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना से प्रत्येक माह कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरांत सफल निविदादाता को देय राशि का भुगतान किया जायेगा।
35. सफाई कार्य खराब होने या कार्य न किये जाने की स्थिति में भुगतान में कटौती की जायेगी। सफाई कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या सफाई कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में प्रत्येक ऐसे दिवस के लिये मासिक भुगतान की 5% की राशि की कटौती की जा सकेगी। सात दिनों या उससे अधिक सफाई कार्य असंतोषजनक रहने या सफाई कार्य नहीं कराये जाने पर सफल निविदादाता को नोटिस दे कर एकरारनामा/कार्यादेश को रद्द किया जा सकेगा तथा प्रतिभूति की जमा राशि भी जब्त कर ली जायेगी। यदि सफल निविदादाता द्वारा सफाई कार्य लगातार तीन दिनों तक नहीं किया जाता है तो उन्हें तत्काल नोटिस देकर उसकी निविदा रद्द की जा सकती है तथा प्रतिभूति की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
36. कोई विवाद होने की स्थिति में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार (या प्रधान सचिव/सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार) का निर्णय अंतिम होगा।
37. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पास सुरक्षित है।